उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

गोवर्धन विलास, उदयपुर – 313002

फोन(ऑ.)0294–2640258, ईमेल : saras@milkunionudaipur.com

(तकनीकी भाग अ)

ई–निविदा फार्म कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कार्य ठेका

निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1180/– मय GST उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के नाम– : डी.डी/बैंकर चैक नं. :.............................
दिनांक :...
बैंक का नाम:...

निविदा प्रोसेसींग शुल्क रु.2,000/–MD,RISL JAIPUR के नाम– डी.डी/बैंकर चैक नं. :..............................
दिनांक :.............................
बैंक का नाम :...

अरनेस्ट मनी रु.4,00,000/–उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के नाम–(धरोहर राशि) डी.डी/बैंकर चैक नं. :...............................
दिनांक :............................
बैंक का नाम :..

(उपरोक्तानुसार तीनों डी.डी/बैंकर चैक की प्रतियों को अपलोड करना अनिवार्य है।)

1. निविदा सूचना क्रमांक व दिनांक : उडे/डेयरी/श्र.अ/2025–26/**1921** दि. 27.08.2025
2. निविदा सन्दर्भ : **09 / 2025–26**
3. निविदा विषय :कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कार्य ठेका।
4. निविदादाता का नाम :...
5. निविदादाता के पिता का नाम :...
6. निविदा प्रपत्र डाउनलोड डाउनलोड कर, भरकर अपलोड करने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय : 29.08.2025 सांयःकाल 05.00 बजे से
7. प्री बिड मीटिंग की दिनांक एवं समय : 05.09.2025 दोपहर 1:00 बजे से 02:30 बजे तक
8. निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय : 26.09.2025 सांयःकाल 04:00 बजे तक
9. निविदा के डी.डी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 27.09.2025 दोपहर 01:00 बजे तक
   (Form fee-DD, EMD-DD,RISL-DD charges etc. in physical form at Udaipur Dairy)
10. निविदा खोलने की दिनांक व समय(तकनीकी भाग अ) : 29.09.2025 प्रातः 11.30 बजे
11. निम्नांकित लाईसेन्स/पंजीयन/दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ (स्वयं प्रमाणित) निविदा के पार्ट ''अ'' में अपलोड करें।
12. श्रम विभाग पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र अपलोड करें : ....
    (निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने का वैद्य लाइसेन्स की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य हैं)
13. पी.एफ. कोड संख्या वैध पंजीयन का प्रमाण पत्र अपलोड करें ....
14. ई.एस.आई कोड संख्या वैध पंजीयन का प्रमाण पत्र अपलोड करें ....

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

15. आयकर स्थायी खाता संख्या (वैध) कार्ड अपलोड करें :..
16. गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (जी एस टी.) विभाग वैध पंजीयन संख्या प्रमाण पत्र अपलोड करें :.................................
17. निविदादाता को पॅाच सौ रू. (500/–) के गैर न्यायिक स्टाम्प पर ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं होने का शपथ पत्र निविदा फार्म के प्रोफार्मा (परिशिष्ठ 1) अनुसार अपलोड करें : ....
18. निविदादाता को राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. के किसी भी अन्य दुग्ध सयंत्र मे श्रमिकों की आपूर्ति का कम से कम दो (2) **वित्तीय** वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करे ।
19. निविदादाता को पी.एफ क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
20. गत किन्ही तीन (3) वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) के आयकर रिटर्न्स की प्रति अपलोड करें।
21. निविदादाता को गत् तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसतन टर्नओवर 3 करोड़ होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण पत्र चार्टेड अकाउंटेंड द्धारा प्रमाणित (यूडीआईएन) सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसकी C.A. द्धारा अंकेक्षित लाभ हानि खाते की प्रतिलिपी (With UDIN Number) अपलोड करना अनिवार्य हैं।
22. **निविदादाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम/मोबाईल नं./पहचान पत्र की फोटो प्रति अपलोड करें।** : ....
23. निविदादाता का :–
    (अ) स्थाई पत्राचार का पता : ....
    (ब) टेलीफोन/मोबाईल संख्या ....
    (स) ई–मेल (e-mail ID) ....
24. अगर किसी निविदादाता के संबन्ध मे भविष्य निधि /ई एस आई /जी एस टी के चालान एवं रिटर्न्स जमा कराने या इन विषयों मे अन्य अनियमितता करना पाया जाता हैं । अथवा अवेहलना करना पाया जाता हैं तो उक्त निविदादाता की भाग अ को निरस्त किया जा सकेगा ।
25. निविदादाता का इस आशय का सत्यापित शपथ पत्र की उसे, उसके किसी भी कृत्य में दण्ड के रुप में उसकी सुरक्षा/अमानत राशि जब्त नहीं की गई है , यह शपथ पत्र अपलोड करे । साथ ही इस तकनिकी फार्म (भाग अ) के समस्त पृष्ठ संख्या 1 से 12 तथा अनुलग्नक A से D तक स्वहस्ताक्षरित कर , निविदा पार्ट अ के साथ अपलोड करें।
26. निविदादाता का कोई अपराधिक रिकॅार्ड नहीं होना चाहिये। इस हेतु पुलिस सत्यापन रिर्पोट प्रति अपलोड करें।
27. ई–निविदा सम्बन्धि तीनों डी.डी/बैंकर चैक (फार्म शुल्क रु. **1180**/– प्रोसेसिंग शुल्क रु. **2000**/– व धरोहर राशि रु. **4,00,000**/–) को संघ कार्यालय में दिनांक 27.09.2025 दोपहर 01:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
28. बैंकर्स का विवरण अपलोड करें।

नोट :– बिन्दु संख्या 11 से 21 तक में वर्णित समस्त दस्तावेजो की सत्यापित प्रति अपलोड करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जा सकेगा।
दर स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं उसके अभाव मे कार्य आदेश जारी नहीं किया जावेगा । इसके लिये अतिरिक्त समय उपलब्ध नहीं होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त की जावेगी एवं कार्य आदेश नहीं दिया जावेगा तथा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गोवर्धन विलास, उदयपुर – 313002

फोन(ऑ.)0294–2640258, ईमेल : saras@milkunionudaipur.com

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –''अ'')

कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कार्य की निविदा भरने एवं अनुबन्ध हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्ते

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में विभाजित हैं। निविदा का प्रथम भाग तकनीकी (भाग–अ) तथा निविदा का दूसरा भाग वित्तीय जो BOQ में भरा जाना हैं। निविदादाता द्धारा प्रस्तुत प्रपत्र के तकनीकी भाग ''अ'' के साथ ई–निविदा सम्बन्धि तीनों डी.डी/बैंकर चैक (फॉर्म शुल्क रु. **1180**/– मय GST उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर, के नाम, प्रोसेसिंग शुल्क रु.**2000**/–MD, RISL JAIPUR के नाम व धरोहर राशि रु. **4,00,000**/–उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के नाम) की प्रतियों को अपलोड करनी होगी एवं मूल तीनों डीडी को निर्धारित जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तक संघ में जमा करवानी होगी। जिससे अभाव में निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा।
   सफल निविदादाता की धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) , अमानत राशि के पेटे में सम्मेलित कर दी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में निविदादाता को अपना पूरा नाम, पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में BOQ में स्पष्ट रूप से अंकित करके अपलोड करनी होगी। शब्दों एवं अंकों में दरों में अंतर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर को ही मान्यता दी जावेगी।
4. अनुबन्ध अवधि **एक** वर्ष के लिये होगी जिसे दोनों पक्षों की सहमति से उक्त अनुबन्ध का नवीनीकरण आगामी एक वर्ष के लिये और किया जा सकेगा। इस प्रकार नवीनीकरण अधिकतम मूल अनुबन्ध अवधि के अतिरिक्त एक बार किया जा सकेगा। मूल अनुबन्धक अवधि अथवा नवीनीकरण के पश्चात् अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता हैं तो प्रबन्धन तीन माह अथवा नई निविदा होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अनुबन्ध अवधि बढाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी। अनुबन्ध अवधि बढाने का अंतिम निर्णय प्रबन्ध संचालक का होगा।
5. किसी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र BOQ के बिना दी गई निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही, निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तो के अनुरूप ही देनी होगी। यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्ते जोड़ता है तो वह मान्य नहीं होगी। निविदा स्वयं अथवा प्रमाणित प्रतिनिधी के माध्यम से निर्धारित दिनांक व समयावधि में ही अपलोड करनी होगी।
6. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अनुबन्ध अवधि के लिए श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत कॉन्ट्रेक्ट लेबर (अबोलिशियन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम के तहत् संघ में लगाने का वैद्य लाईसेन्स की प्रति अपलोड करनी होगी व श्रमिकों की संख्या जो कार्य करेगी उनके अनुरूप लाइसेन्स मे अंकित होना आवश्यक हैं। अपंजीकृत ठेकेदार की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अधिनियम के अनुसार निर्धारित अभिलेख रखने व विवरणिका समय पर प्रस्तुत करने के लिए ठेका श्रमिक ठेकेदार स्वयं उत्तददायी होगा।
7. निविदादाता के पास फर्म के नाम का पी.एफ कोड पंजीयन, ई.एस.आई. कोड पंजीयन, श्रम विभाग से पंजीयन, जी.एस.टी.नम्बर व पैन कार्ड नम्बर, तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न, गत तीन वर्षो का अंकेक्षित लाभ हानि खाता सलंग्न करना अनिवार्य हैं, निविदादाता को राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. के किसी भी अन्य दुग्ध संयंत्र में श्रमिको की आपूर्ति के कार्य का कम से कम दो (2) **वित्तीय वर्ष** का कार्यानुभव होना आवश्यक हैं इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इन समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र तकनीकी भाग "अ" के साथ आवश्यक रुप से अपलोड करें। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। कमेटी के समक्ष अपलोड पत्रों का सत्यापन कमेटी सदस्यों द्वारा किया जावेगा। इनके अभाव में निविदा का वित्तीय भाग नहीं खोला जावेगा।(कृपया पृष्ठ संख्या 01 व 02 का अवलोकन करे)

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

8. **अगर किसी निविदादाता के संबन्ध मे भविष्य निधि /ई एस आई /जी एस टी के चालान एवं रिटर्न्स जमा कराने या इन विषयों एवं पुर्व में अन्य अनियमितता बरती गई हैं अथवा अवेहलना की गई हैं तो उक्त निविदादाता की भाग अ को निरस्त किया जा सकेगा ।**

9. अगर सफल निविदादाता द्वारा भविष्य निधि /ई एस आई /जी एस टी के चालान एंव रिटर्न जमा करने या इन विषयों मे अन्य अनियमितता 3 तीन महिने या अधिक बार तक की जाती हैं तो उक्त निविदादाता का अनुबन्ध बिना सूचना के निरस्त किया जा सकेगा एवं भविष्य में निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा तथा सम्बंधित निविदादाता को ब्लेक लिस्ट किया जा सकता हैं ।

10. स्वीकृत/सफल अनुबंधक को कुल रूपये 20 लाख की ब्याज मुक्त जमानत राशि संघ मे जमा करानी होगी जिसमें रूपये **4,00,000**/–(अक्षरे चार लाख मात्र) नगद ब्याज मुक्त एवं रूपये **16,00,000**/–(अक्षरे सोलह लाख मात्र) की बैंक गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी 18 माह की अवधि तक के लिए अथवा डी.डी.के रूप मे संघ को देनी होगी। धरोहर राशि को जमानत राशि में सम्मेलित किया जा सकेगा । अनुबन्ध अवधि में वृद्धि होने पर बैंक गारंटी पुनः उपरोक्तानुसार नवीनीकृत करवाकर देनी होगी। अनुबन्ध अवधि बढ़ायी जाने पर मूल अनुबंध में वर्णित समस्त नियम एवं शर्ते बढ़ी हुई अवधि हेतु भी लागू रहेगी ।

11. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार लागू गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा।

12. निविदादाता द्वारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र रूपये 500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (सलंग्न प्रोफोर्मा परिशिष्ठ 1) ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के पार्ट ''अ'' में अपलोड करना होगा। इसके अभाव में निविदा का वित्तीय भाग नहीं खोला जावेगा। यदि अनुबन्धकर्ता के बारे में यह पाया जाता है कि किसी भी संघ अथवा राजकीय कार्यालय में पूर्व में अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नही कर पाया हो, सिक्योरिटी राशि जब्त की गयी हो और उसका अनुबन्ध निरस्त किया गया हो, तो ऐसे निविदादाता की निविदा मान्य नही होगी।

13. संघ में कार्यरत श्रमिकों की भविष्य निधि एवं ई.एस.आई राशि के चालान के साथ कर्मचारीवार जमा राशि का विवरण (ई चालान मय रसीद के साथ जनरेट किया हुआ ई सी आर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गत माह में जमा की गई जी.एस.टी. राशि का चालान मय चालान रसीद अगले बिल के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अनुबन्ध अवधि के लिए श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत कॉन्ट्रेक्ट लेबर (अबोलिशियन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम के तहत् श्रम विभाग द्वारा जारी 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने का वैद्य लाइसेन्स की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य हैं ।

15. श्रमिक ठेकेदार को किसी भी परिस्थिति में संघ द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध को किसी भी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो ठेकेदार पर संघ द्वारा तत्समय तय की गई शास्ति आरोपित की जावेगी एवं निविदा भी निरस्त की जा सकेगी।

16. **सफल निविदादाता द्वारा किसी भी वर्ग में उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों को उनको गत माह के मासिक भुगतान करने के पश्चात् तथा कर्मकार के भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर सहित सूची/बैंक में भेजी गई सूची की प्रति अपने अगले माह के बिल के साथ संघ में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव में सफल निविदादाता के बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

17. प्रबन्ध संचालक उक्त अनुबन्ध को संघ हित में बिना कारण बताये 15 दिवस के नोटिस पर समाप्त कर सकता है एवं प्रबन्ध संचालक को संघ हित में वर्तमान अनुबन्ध की किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तो में छूट देने अथवा नई शर्त लागू करने का अधिकार होगा।

18. प्रबन्ध संचालक के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।

20. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –''अ'')

कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कार्य की निविदा हेतु अनुबन्ध अवधि में अनुबन्धकर्ता के पालनार्थ विशेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1. दुग्ध संघ उदयपुर का मुख्य कार्य दुग्ध संकलन, दुग्ध उत्पादों का निर्माण, विपणन, इत्यादि गतिविधियाँ संचालित करना है। दूध प्रकृति की शीघ्र नष्ट होने वाली एवं संघ में कभी दूध आवक की मात्रा अधिक होती है तो कभी कम। इस कारण से संघ के कार्यो में उतार–चढ़ाव रहता हैं। तद्नुसार अनुबन्धकर्ता को समय–समय पर श्रमिकों की बढ़ोतरी अथवा घटोत्तरी करने के निर्देश डेयरी प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाये जा सकते है । संघ के कार्यो में कमी होने पर ठेकेदार के नियोजन में कार्यरत ठेका श्रमिकों को हटाये जाने के निर्देश ठेकेदार को दिये जाते है तो ठेकेदार तुरंत अपने श्रमिकों को संघ से हटायेगा। श्रम से हटाने पर यदि किसी ठेका श्रमिक द्वारा श्रम विभाग में शिकायत व अन्य न्यायालय में शिकायत दायर की जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। समस्त न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले हर्जे–खर्चे के लिए ठेकेदार व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होगा।

2. कार्य आदेश प्राप्ति के पश्चात् निर्देशित अवधि में मांगी गयी संख्या में ठेका श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेका श्रमिकों की संख्या का निर्धारण समय–समय पर प्रबन्ध संचालक अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जा सकेगा।

3- **राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी न्यूनतम वेतन मजदूरी की दरों का संघ द्वारा भी पालन किया जावेगा।**

4. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होने चाहिए तथा ठेका श्रमिक स्वस्थ एवं कार्य के लिए पूर्ण रूप से योग्य होने चाहिए। ठेकेदार अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच करवायेगा। अस्वस्थ्य श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखेगा।

5. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक आदतन अपराधी, आपराधिक रिकॉर्ड, पुलिस केस वाले श्रमिकों को संघ में कार्य पर नहीं लगायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है ऐसे कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाना होगा एवं संघ द्वारा तय की जाने वाली शास्ति भी ठेकेदार के विरूद्ध आरोपित की जावेगी एवं ठेका भी निरस्त किया जा सकेगा।

6. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिकों को कार्य पर लगाने के लिए ठेका श्रमिक ठेकेदार स्वयं या उसका प्रतिनिधी आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उपस्थित रहेगा। वह ठेका श्रमिकों को कार्यालय समय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करेगा अन्यथा ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जावेगी। अनुबन्धकर्ता ठेका श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।

7. उपलब्ध ठेका श्रमिक कार्य के दौरान निर्देशो का उल्लंघन अथवा निर्धारित कार्य का सम्पादन नहीं करते है तो ऐसे ठेका श्रमिकों को हटाकर उनकी जगह दूसरे कार्य करने में, योग्य एवं कर्मठ ठेका श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। संघ के कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण यदि संघ की सम्पत्ति इत्यादि को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेका श्रमिक ठेकेदार की होगी। निर्धारित मांगे गये ठेका श्रमिकों से कम या अधिक उपलब्ध करवाने पर संघ को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी वसूली व क्षतिपूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी। उपरोक्त किसी भी प्रकार की हानि एवं ठेका की शर्तो का उल्लंघन होने पर प्रबन्ध संचालक को श्रमिक ठेकेदार पर अनुशास्ति (पेनाल्टी) लगाने का अधिकार होगा।

8. कोई अवांछित वस्तु अथवा घातक हथियार इत्यादि अनाधिकृत रूप से संघ परिसर में श्रमिक ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अन्यथा ऐसे कृत्य के कारण संघ को होने वाले नुकसान के लिए श्रमिक ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

9. श्रमिक अनुबंधक द्वारा लगाये गये समस्त श्रमिकों का सुपर विजन एवं कन्ट्रोल श्रमिक ठेकेदार का होगा । इस हेतु श्रमिक ठेकेदार एक सुपरवाईजर अपने खर्चे पर दुग्ध संघ में नियुक्त करेगा । जिसका नाम व टेलिफोन नम्बर, आई.डी., इत्यादि सम्बंधित श्रमिक अनुबन्धक को श्रम ठेका मिलते ही संघ कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी ।

10. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने के एक माह की अवधि में अपने खर्चे पर सभी कर्मकारों को वर्दी (दो जोड़ी सिलाई सहित) उपलब्ध करानी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रत्येक कर्मकार प्रतिदिन निर्धारित वर्दी में कार्य स्थल पर उपस्थित हो। इसके अभाव में रू. 50/– प्रति श्रमिक प्रति दिन से शास्ति सफल निविदादाता से वसूल की जा सकती है।

11. ''विवाचन (आरर्बीट्रेशन) – उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर और निविदादाता के मध्य इन शर्तो में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत अनुमान्य होगा। यदि संघ के मत से कोई निविदादाता असंतुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को संघ द्वारा नियुक्त एकल विवाचक (सोल आरर्बीट्रेटर) को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है एवं समस्त कार्यवाही ''आरर्बीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन एक्ट 1996'' के तहत सम्पादित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां उसी स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगी जिस स्थान पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है अर्थात् उदयपुर (राजस्थान) होगा।''

12. निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी उदयपुर दुग्ध संघ कर्मी का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता–माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति–पत्नी से है।)

13. निविदादाता उदयपुर दुग्ध संघ की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्धकारिणी का सदस्य अथवा सचिव का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी का सदस्य के पिता–माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति–पत्नी से है।)

14. श्रमिक ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा संघ में प्रतिबन्धित पदार्थो (तम्बाकू, गुटका, शराब, नशीलें पदार्थ) नहीं लायेगा एवं न ही उनका उपयोग करेगा ऐसा पाये जाने पर उसे तुरन्त हटाना होगा।

15. तदुपरान्त सभी प्रसंग का न्याय क्षैत्र केवल और केवल उदयपुर की अदालत के न्याय अधिकार क्षैत्र में आयेगा।

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –''अ'')

कुशल/अकुशल श्रमिकों की उपस्थिति, मजदूरी भुगतान व रिकॉर्ड संधारण हेतु इत्यादि के क्रम में निर्देश

1. ठेका श्रमिकों की उपस्थिति सलंग्न प्रोफार्मा में प्रतिदिन श्रमिक ठेकेदार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से प्राप्त करेंगे तथा प्रमाणित करवाकर विभागाध्यक्षों से हस्ताक्षरित करवायेंगे। सम्बन्धित ठेका श्रमिक ठेकेदार प्रत्येक माह के समाप्त होने पर अगले माह की दो तारीख तक मासिक बिल संघ की संस्थापन शाखा में प्रस्तुत करेगा।
2. श्रमिक ठेकेदार इसके अतिरिक्त एक उपस्थिति पंजिका दो प्रतियों में भी रखेंगे जिसमें श्रमिकों के नाम मय उनके पिता का नाम एवं निर्धारित भुगतान दर, इत्यादि का उल्लेख होगा। कार्यालय संस्थापन शाखा द्वारा मांग करने पर यह पंजिका वह जांच हेतु उपलब्ध करवानी होगी तथा इसमें वह विभागाध्यक्षों द्वारा प्रमाणित हाजरी को दैनिक प्रत्येक श्रमिक के कॉलम के आगे माहवार दर्शायेगा और प्रत्येक श्रमिक की माहवार कुल हाजरी माह समाप्त होने पर अंकित करेगा तथा निर्धारित दर से उसका मासिक पारिश्रमिक अंकित करेगा तथा पी.एफ., ई.एस.आई एवं अन्य वैधानिक कटौतियों की राशि नियमानुसार कटौती कर भुगतान योग्य राशि अंकित करेगा।
3. सिक्योरिटी मेन गेट पर प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पर पूर्ण होने पर डेयरी परिसर से बाहर जाने का समय अंकित किया जाएगा।
4. श्रमिक ठेकेदार का वैधानिक दायित्व के अनुसार प्रत्येक समाप्त हुए माह का ठेका श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह की 7 तारीख तक वह निश्चित रूप से सम्बन्धित संघ प्रतिनिधी की उपस्थिति में करेगा। अन्यथा इसमें असफल होने पर श्रम कानूनों के अनुसार कोई अनुशास्ति एवं दण्ड के लिए श्रमिक ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
5. निर्धारित समयावधि में श्रमिक ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक कर्मकार जिन्हें संघ में ठेका श्रमिक के रूप में काम पर लगाया है उसे नियमानुसार पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना होगा ।
6. यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में मजदूरी भुगतान करने में चूक करता है या निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करता है तो उस परिस्थिति में सम्बन्धित ठेका श्रमिक ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।
7. ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड का संधारण ठेका श्रमिक ठेकेदार स्वयं रखेगा एवं संघ को किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने पर वह संघ को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा। श्रम, फैक्ट्री, बॉयलर्स, पी.एफ. एवं ई.एस. आई. विभागों के द्वारा समय–समय किये जाने वाले निरीक्षणों में सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा।
8. बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम, 1986 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना का उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा।
9. श्रमिक ठेकेदार ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत संघ द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार नियमानुसार ई.एस.आई. की कटौती मासिक बिल से कर ई.एस.आई. अधिनियम के तहत की गयी कटौती राशि के साथ ठेकेदार (नियोक्ता) का अंशदान (दर में सम्मिलित है) सहित प्रत्येक माह ई.एस.आई. चालान द्वारा अपने ई.एस.आई. कोड में जमा करवाकर जमा चालान की एक प्रति संघ संस्थापन शाखा में समयानुसार उपलब्ध करायेगा। अपने नियोजन में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को ई.एस.आई. कार्ड उपलब्ध करायेगा तथा ई.एस.आई. कार्ड के अभाव में किसी भी ठेका श्रमिक के मेडीकल चिकित्सा/दुर्घटना के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
10. ठेका श्रमिकों का पी.एफ. नियमानुसार श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने कोड में जमा करवाकर चालान जमा की प्रतियां बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही बिल पारित किया जावेगा। ठेकेदार के नियोजन में कार्यरत ठेका श्रमिकों की पी. एफ. का वार्षिक रिटर्न की छायाप्रति कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि की निकासी अथवा श्रमिकों द्वारा अन्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11. सफल अनुबन्धक द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता (बिल समय पर प्रस्तुत न करना , श्रमिकों को समय पर भुगतान न करना , PF , G S T , E S I को समयानुसार जमा न कर वैधानिक दायित्व का निवर्हन न करना , प्रतिमाह चालान व अन्य प्रपत्र संघ कार्यालय मे जमा न करना , वांछित संख्या मे श्रमिक आपूर्ति न कर पाना आदि) बरते जाने पर संघ एक तरफा कार्यवाही करते हुए , बिना पूर्व सूचना के अनुबन्ध समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा संघ द्वारा इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने पर हर्जे खर्चे के लिए संबधित अनुबन्धक जिम्मेदार होगा ।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

12. श्रमिक अनुबन्धक को बिल का भुगतान एवं श्रमिकों को मासिक मजदूरी का भुगतान दोनो अलग–अलग विषय होगे श्रमिक अनुबन्धक को हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिनस्थ श्रमिकों का भुगतान अगले माह की 7 तारीख तक हो जाये ।

13. श्रमिक ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को आवंटित ई.एस.आई. सदस्यता क्रमांक की सूचना काम पर लगते ही संघ में देगा व अपने मासिक भुगतान बिल में ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम मय आधार कार्ड का पूर्ण विवरण देना होगा। उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का दायित्व ठेकेदार का रहेगा। अन्यथा यह माना जायेगा कि पिछले माह श्रमिक ठेकेदार ने उक्त पूर्ति नहीं की है व तदानुसार ठेका शर्तो का उल्लंघन मान कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

14. ठेकेदार द्वारा निम्न अधिनियमों के प्रावधानों की पालना भी सख्ती से की जावेगी। अन्यथा ठेका शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा :–
    1. कर्मचारी बोनस अधिनियम (तय नियमों के अनुरूप)
    2. कर्मचारी औद्यौगिक विवाद अधिनियम
    3. वर्कमेन कम्पन्शेसन अधिनियम
    4. भारतीय कारखाना व बॉयलर अधिनियम
    5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
    6. मजदूरी भुगतान अधिनियम
    7. औद्यौगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
    8. मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम, 1961
    9. कॉन्ट्रेक्ट लेबर एबोलियशन एण्ड रेगुलेशन अधिनियम
    10. अन्य श्रमिक अधिनियम जो संस्था पर लागू हैं।
    11. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अधिनियम

    उक्त समस्त प्रावधान श्रमिक ठेकेदार पर अनुबन्ध अनुसार ठेका अवधि में लागू रहेंगे व उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को मुख्य रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा व इस हेतु किसी प्रकार की जिम्मेदारी वसूली शास्ति ठेकेदार पर लगायी जाती है तो श्रमिक ठेकेदार से वर्तमान व भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वसूली करने को संघ स्वतन्त्र रहेगा। प्रतिष्ठान समस्त श्रम व औद्योगिक अधिनिमयों/नियमों के अधीन कार्यरत हैं।

    अतः ठेकेदार का दायित्व है कि ठेके पर कार्यरत समस्त श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों व उपबन्धों की पालना करें व इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित रिकॉर्ड तैयार कर समय–समय पर वास्ते निरीक्षण केन्द्र या राज्य सरकार से सम्बन्धित कार्यालयों से करवानी होगी।

15. ठेका श्रमिक ठेकेदार अपने नियोजन में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को परिचय पत्र देगा।

16. उक्त समस्त शर्ते, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा रहेगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्ते लागु रहेगी।

17. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त ठेका श्रमिकों को हर माह की समाप्ति पर अगले माह की 7 तारीख तक सम्बन्धित को मजदूरी का भुगतान संघ के प्रतिनिधी के समक्ष करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर प्रबन्ध संचालक के निर्णय अनुसार प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकती है। श्रमिकों को देय मजदूरी में से किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती करने पर बकाया मजदूरी व दस गुना शास्ति ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

18. ठेकेदार मजदूरी भुगतान रजिस्टर में कर्मकार का नाम, पिता का नाम, कर्मकार का भविष्य निधी संख्या, ई.एस.आई. संख्या, मजदूरी दर, कुल कार्य दिवस, देय भुगतान, कटौतियाँ, भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित कर्मकार से प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। अन्यथा श्रमिक का उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाना नहीं माना जावेगा।

19. अनुबन्ध की समाप्ति पर ठेकेदार की धरोहर एवं अमानत राशि से किसी भी प्रकार की वैधानिक बकाया राशि की कटौती करने का पूर्ण अधिकार संघ को रहेगा व धरोहर राशि, बैंक गारण्टी लौटाने के लिए ठेकेदार को समस्त विभागों से ''बकाया नहीं प्रमाण–पत्र'' प्राप्त करना अनिवार्य हैं। इस आधार पर किसी प्रकार की बकाया होने पर धरोहर राशि, बैंक गारंटी से कटौती की जा सकेगी। ठेका समाप्त होने पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) संघ कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त बॉन्ड में भविष्य में उसके ठेके सम्बन्धित किसी विवाद के लिये व स्वयं बाध्य होने बाबत् उल्लेख करेगा।

20. मांगे गये श्रमिकों की संख्या से कम श्रमिक उपलब्ध कराने पर रूपये 500/– प्रतिदिन, प्रति श्रमिक शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

21. भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. के जमा चालानों की प्रतियाँ एवं भुगतान प्रपत्र की प्रतियाँ प्रतिमाह कार्यालय में संस्थापन शाखा में प्रस्तुत करनी होगी। ठेका श्रमिकों के भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा तथा समस्त उत्तरदायित्व ठेका श्रमिक ठेकेदार का रहेगा। समस्त विवादों का न्याय क्षैत्र उदयपुर रहेगा। ई.एस.आई. के छः मासिक एवं वार्षिक रिटर्न का छाया प्रति कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

22. **सफल निविदादाता को प्रतिमाह सम्बन्धित कर्मकार/श्रमिकों को वेतन स्लीप मय कटौती विवरण के उपलब्ध करानी होगी तथा भुगतान बैंक के बचत खाते के माध्यम से किया जावेगा।**

23. **किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा में दर 1% से कम भरने पर, निविदा दर मान्य नही होगी एवं निविदा निरस्त मानी जावेगी।**

24. अनुबंधक को उनके द्वारा दुग्ध संघ में नियोजित समस्त श्रमिक कर्मियों का दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा करवाना अनिवार्य होगा। किसी भी श्रमिक की कार्य स्थान पर दुर्घटना होने पर उसके ईलाज एवं हर्जे खर्चे का जिम्मा श्रमिक अनुबन्धक का होगा।

25. अनुबंधक के अधिनस्थ कार्मियों द्वारा संघ परिसर मे चोरी, गबन अथवा अन्य आपराधिक कार्य किया जाता हैं तो उसकी नुकसान की भरपाई अनुबंधक से की जावेगी ।

26. **संस्थान में श्रम कारखाना अधिनियम के तहत पात्र ठेका श्रमिक अर्जित उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे ठेकेदार द्वारा उपार्जित अवकाष का लेखा विवरण तैयार कर हिसाब रखना होगा।**

27. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग ''अ'' के साथ पृष्ठ संख्या–01 से 12 एवं अनुलग्नक- **A ,B,C,D** को अनिवार्य रूप से अपलोड करना आवश्यक हैं ।

उपरोक्त समस्त शर्ते पढ़ ली है व मान्य है।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

गोवर्धन विलास, उदयपुर – 313002

फोन(ऑ.)0294–2640258, ईमेल : saras@milkunionudaipur.com

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –''अ'') के साथ अपलोड करें

अण्डर टैकिंग / शपथ पत्र

(फर्म / ऐजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

मैं .... पुत्र श्री .... उम्र..................... वर्ष, निवासी ....तहसील .... जिला .... (राज.) का हूँ, मैं शपथ पूर्वक यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :–

1. यह है कि मैं उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर से प्राप्त ठेकों के निमित्त / सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि / शास्ति हैं। तो यह राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनसेशन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरंत जमा करा दूंगा।

2. यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते है।

3. यह कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली हेतु मेरी चल–अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण / बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरा व मेरे वारिस की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं .... पुत्र श्री .... उम्र ...... वर्ष, निवासी ....

यह शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश–हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता ....

नाम निविदादाता ....

पता ....

....

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 1

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –''अ'') के साथ अपलोड करें

काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) व अनुबन्ध निरस्त नहीं होने हेतु प्रोफार्मा

शपथ पत्र

(रूपये 500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं निविदादाता .... सुपुत्र श्री .... उम्र.................. निवासी .... यह शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ, कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार का किसी भी संस्थान /समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की गयी तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्यूरिटी राशि जब्त नही हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतंत्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Annexure - A

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

 निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Annexure - *B*

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan) for procurement of ………………… ……….in response to their Notice Inviting bid No………………Dated ………. I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

l. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

6. I/we certify that all the documents / Certificatis / Liecence enclosed with Part A of the tender are true & Valid I am fully asponsible for the Correctness of the same .

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure ***- C***

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).
The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement.
(b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) cancellation of a procurement process.
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal .

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in lndia payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

FORM No. l
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..................................of……………….............
Before the……..................................... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal …………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………
   …………………….. …………………..(Supported by an Affidavit)

7.Prayer:…………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………..

Place …………………………………….
Date……………………………………..

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Annexure - D

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

 निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गोवर्धन विलास, उदयपुर – 313002

फोन(ऑ.)0294–2640258, ईमेल : saras@milkunionudaipur.com

(वित्तिय भाग ब)
(यह प्रपत्र सन्दर्भ हेतु है , यहां दरें नहीं भरें , दरें ऑनलाइन BOQ में भरनी हैं)

कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कार्य ठेका दर निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

मैं ठेके पर कार्यरत श्रमिकों को भुगतान दुग्ध संघ उदयपुर द्वारा निर्धारित दरों से करने एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रकाशित न्यूनतम दर से भुगतान करने के लिए ठेका अवधि में वचनबद्ध रहूँगा। इसके उल्लंघन पर दस गुना पेनाल्टी लगाने के लिए संघ स्वतंत्र रहेगा। जो मुझे/हमें स्वीकार हैं। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में यदि किसी ठेका श्रमिक ने कोई विवाद किया तो उसमें सक्षम न्यायालय–न्यायाधिकरण द्वारा जो भी निर्णय किया जावेगा, उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर अथवा संघ द्वारा निर्धारित दरें प्रति कार्य दिवस देय होगी। भविष्य निधि एवं ई.एस.आई का अंशदान संघ द्वारा पृथक से देय होगा।

नोट :– **राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाने पर, नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।**

क.स.	विवरण	सर्विस शुल्क प्रतिशत (%)	
		(शब्दों में)	(अंकों में)
1.	कुशल/अकुशल श्रमिकों/कार्मिकों की सेंवाऐं उपलब्ध कराने हेतु (निविदादाता सर्विस चार्ज की प्रतिशत में निम्नांकित नोट की अनुपालना भी शामिल है।)		

सलंग्न ई–निविदा शर्तो व उपरोक्त विवरणानुसार एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ एवं उक्त

दर सम्बन्धी घोषणा – (अनुबन्धक द्वारा)

(अ) कुशल/अकुशल श्रमिकों की राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रकाशित न्यूनतम दरें एवं संघ द्वारा उच्च कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों से भुगतान करने हेतु भविष्य निधि नियोक्ता हिस्सा 13.00 प्रतिशत तथा ई.एस.आई. का नियोक्ता का हिस्सा 3.25 प्रतिशत पृथक से देय होगा ।
उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिक हिस्से की काटी जाने वाली भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. की राशि (12 प्रतिशत भविष्य निधि तथा 0.75 प्रतिशत ई.एस.आई.) व नियोक्ता का हिस्सा पूर्ण रूप से जमा करवाउंगा। न्यूनतम का कोई भी Break-up नहीं किया जावेगा। भविष्य निधि व ई.एस.आई. की गणना कुल न्यूनतम मजदूरी पर ही होगी। श्रमिक को माह मे जितनी हाजरी का भुगतान होगा उतनी ही हाजरी पर भविष्य निधि व ई.एस.आई. देय होगी।

(ब) जी.एस.टी. कुल बिल की राशि पर देय होगा, जिसका चालान अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करूँगा। अन्यथा मेरे बिल मे से पूर्व की राशि की वसूली कर काट ली जावें।

(स) न्यूनतम मजदूरी मे वृद्धि होने पर अथवा संघ द्वारा नई संशोधित दरे लागू किये जाने पर , तदानुसार भविष्य निधि एव ई.एस.आई. देय होगी। सर्विस चार्ज मे कोई परिवर्तन नही होगा।

जी.एस.टी. पृथक से देय होगा लेकिन चालान मय चालान रसीद आगामी बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर